

अध्याय 7: इक्विटी निवेश

विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयर खरीदना आईएफसीआई द्वारा दी गई एक प्रकार की क्रेडिट सुविधा थी। जीएलपी में निर्धारित मानकों के अनुसार, इन निवेश से बाहर निकलने का विकल्प तीन से आठ वर्षों के बीच था।

आईएफसीआई ने पुनर्गठन, निपटान आदि के रूप में ऋण और ब्याज को इक्विटी में बदलकर या सीधे अभिदान लेकर विभिन्न कंपनियों के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर अधिग्रहित किए। इन निवेशों से बाहर निकलने का माध्यम या तो सूचीकरण पर बिक्री करके अथवा किए गए वापसी-खरीद करार के अनुसार प्रवर्तकों के माध्यम से विनिवेश करना था।

आईएफसीआई के पास 31 मार्च 2016 तक कुल ₹2082.65 करोड़ के बुक मूल्य पर 353 कम्पनियों के गैर-सूचीबद्ध शेयर थे। गैर-सूचीबद्ध शेयरों का स्थिति-वार सारांश इस प्रकार है:

तालिका-7: 31 मार्च 2016 तक गैर-सूचीबद्ध इक्विटी का विवरण

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनियों की श्रेणी	सं.	बुक मूल्य
1	संचालन में	52	2024.12
2	बीआईएफआर/एएआईएफआर को संदर्भित	13	17.25
3.	बंद/गैर संचालित	52	16.91
4.	परिसमाप्त	222	13.16
5.	परिसंपत्तियां रखने वाले आधिकारिक परिसमापक	14	11.21
	कुल	353	2082.65

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, 353 निवेशित कम्पनियों में से केवल 52 कम्पनियां चालू थीं और बाकी कम्पनियां बंद हो गई थीं जिसके संबंध में कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत प्रावधान पहले ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन 52 चालू कम्पनियों के संबंध में 20 कम्पनियों में ₹98.85 करोड़ के निवेश का मूल्य शून्य हो गया था।

लेखापरीक्षा ने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के 13 मामलों¹⁰² में से नौ की समीक्षा की जहां महत्वपूर्ण निवेश (₹1644.97 करोड़) किया गया था। इन निवेशों में जोखिम था क्योंकि ये प्रतिभूति-रहित थे। निवेश से बाहर निकलना आसान नहीं था, क्योंकि ये सूचीबद्ध नहीं थे।

¹⁰² चालू कम्पनियों में से

इन मामलों की समीक्षा से पता चला कि इक्विटी निवेश में वापसी-खरीद की चूक हुई थी (अर्थात् जब सहायता प्राप्त संस्थान ने आईएफसीआई द्वारा ली गई इक्विटी की वापसी-खरीद में चूक की)। ये अनर्जक निवेश थे जिससे अभी भी ₹1136.28 करोड़ की वसूली की जानी थी तथा उन पर ₹651.69 करोड़ के प्रतिफल की वसूली नहीं हो पायी थी। लेखापरीक्षा ने इक्विटी निवेश की गैर-वसूली के कारणों का विश्लेषण किया और देखा कि चूक होने के मुख्य कारण कंपनी द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन, ऋणग्रस्तता और पुनर्दायगी क्षमता के मूल्यांकन के साथ-साथ निवेश प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर समुचित सावधानी नहीं अपनाया था।

प्रबंधन की चूक पर प्रकाश डालने वाले इक्विटी निवेश के कुछ निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:

लेखा-परीक्षा निष्कर्ष

7.1 ग्लोबल रूरल नेट कं. लिमिटेड और चेन्नई नेटवर्क इंफ्रॉस्ट्रक्चर लिमिटेड

क. कम्पनी ने ग्लोबल रूरल नेट कं. लि. (जीआरएनएल) द्वारा जारी ₹250 करोड़ के पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर (एफसीडी) का अभिदान किया (फरवरी 2010) जो कर्जदार के शेष अचल परिसंपत्तियों पर एक नकारात्मक वैध अधिकार¹⁰³ और प्रवर्तक कंपनियों (ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्रा. लि. और जीटीएल लिमिटेड) से 26 प्रतिशत तक के गैर-निपटान वचनपत्र (एनडीयू) द्वारा प्रतिभूत थे। एफसीडी की अवधि तीन वर्ष थी और आईएफसीआई के पास प्रवर्तक कंपनियों पर संवितरण की तिथि से 24^{वें} या 36^{वें} महीने की समाप्ति पर एक पुट ऑप्शन थी। इसकी अवधि के दौरान किसी भी समय यह एफसीडी को इक्विटी शेयरों में भी बदल सकती थी।

कर्जदार ने ₹4.23 करोड़ राशि का बकाया ब्याज (नवम्बर 2011) चुकाने में चूक शुरू कर दी जिससे चूक की एक घटना हुई जिसको देखते हुए आईएफसीआई ने फरवरी 2012 में पुट ऑप्शन के अपने अधिकार का प्रयोग करने की मंशा जाहिर की (दिसम्बर 2011)। तत्पश्चात, मार्च 2012 में कार्यकारी समिति द्वारा कर्जदारों की पुनर्भुगतान की शर्तों में संशोधन का अनुरोध अनुमोदित किया गया और अगस्त 2012 में संबंधित निपटान करार किया गया। निपटान करार, जो 2013 में समाप्त हुआ, के अनुसार ₹250 करोड़ की एफसीडी को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें से एक भाग में ₹100 करोड़ के वैकल्पिक परिवर्तनीय

¹⁰³ नकारात्मक वैध अधिकार परिसंपत्तियों के मालिक द्वारा कुछ परिसंपत्तियां न बेचने और क्रेडिटर की अनुमति के बिना इन परिसंपत्तियों पर कोई प्रभार न लगाने का एक वचनपत्र है।

ऋण (ओसीएल) तथा दूसरे भाग में ₹150 करोड़ राशि के चेन्नई नेटवर्क इंडिया लिमिटेड (सीएनआईएल), एक समूह कंपनी, के इक्विटी शेयर थे। ओसीएल का 31 मार्च 2013 तक पुनर्भुगतान करना था (1 अप्रैल 2012 से गणना किए गए 13.50 प्रतिशत प्रतिलाभ सहित) जिसे 2 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च 2015 तक और बढ़ाया जा सकता था और फिर पुनर्भुगतान न होने के मामले में आईएफसीआई जीटीएल लिमिटेड पर पुट ऑप्शन का प्रयोग कर सकती थी। जीआरएनएल ने 31 मार्च 2015 तक ओसीएल को पुनर्भुगतान नहीं किया और आईएफसीआई ने ओसीएल बकाए के पुनर्गठन की फिर से मंजूरी दे दी जिसके अनुसार पुनर्भुगतान की तिथि 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई। ओसीएल के प्रति आईएफसीआई के लेखाओं में पूर्ण प्रावधान रखा गया है क्योंकि शेष बकाए के प्रति कोई प्रतिभूति नहीं थी। दूसरे भाग के एफसीडी के संबंध में आईएफसीआई को ₹183.13 करोड़¹⁰⁴ के अपने बकाए के प्रति सीएनआईएल के 20.35 करोड़ गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर प्राप्त हुए (नवम्बर 2013)। आईएफसीआई इन शेयरों को तब तक नहीं बेच सकती थी जब तक सीएनआईएल का जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) के साथ विलय और तत्पश्चात जीआईएल शेयरों (जीआरएनएल की दूसरी प्रवर्तक कम्पनी) का सूचीकरण नहीं हो जाए। अभी तक सीएनआईएल और जीआईएल का विलय नहीं हो पाया है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने कोई मूर्त प्रतिभूति लिए बिना एक नई निगमित कम्पनी (मई 2009) के एफसीडी का अभिदान किया चूँकि एफसीडी में प्रतिभूति केवल कर्जदार/प्रवर्तक कम्पनियों द्वारा दिया गया वचनपत्र थी। यहां तक कि सीआरएमडी ने भी जीटीएल लिमिटेड से पुनर्भुगतान जोखिम देखा क्योंकि इसकी बही में भारी मात्रा में ऋण थे और नकद प्रवाह बाधित थे जिससे बकाए की वापसी में समस्या आ सकती थी। निपटान करार (अगस्त 2012) की शर्तें आईएफसीआई के हितों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि ₹150 करोड़ के एफसीडी सीएनआईएल के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में बदल दिए गए थे जिसने सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पहले ही अपने ऋण का पुनर्गठन करा लिया था और शेयरों की बिक्री में सीमित विनिवेश विकल्पों के साथ प्रतिरोधकारी शर्त थी। चूँकि जीआईएल और सीएनआईएल के विलय के बारे में आईएफसीआई को पहले से पता था (जुलाई 2011) इसलिए जीआईएल, जिसने सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अपने ऋणों का पुनर्गठन भी किया था, के शेयर स्वीकार करने की इसकी सहमति कम्पनी के हितों के अनुरूप नहीं थी।

¹⁰⁴ 31मार्च 2012 तक ₹32.13 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹151 करोड़।

प्रबंधन ने बताया (मार्च/जुलाई 2014¹⁰⁵/नवम्बर 2016) कि सुविधाओं के लिए ग्लोबल ग्रुप से पुट-ऑप्शन, गैर-निपटान वचनपत्र और एक नकारात्मक वैध अधिकार के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति थी जो क्रेडिट संवर्धन के प्रवर्तनीय माध्यम थे। संस्वीकृति के समय प्रतिभूति जोखिम को उचित रूप से साध लिया गया था। प्रस्ताव की संस्वीकृति प्रमुख कम्पनी जीटीएल लिमिटेड (जीटीएल) और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआरएनएल की एक प्रवर्तक) के सामर्थ्य के पर दी गई थी। निपटान की शर्तें सर्वोत्तम संभव विकल्प थी जिसे विचार-विमर्श के प्रबल दौर के बाद निर्धारित किया गया था और विनिमय अनुपात 1.13:1 तक बढ़ सकता था। ₹100 करोड़ के ओसीएल के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है और कर्जदार के फाइबर ऑप्टिक कारोबार की बिक्री पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक पुट-ऑप्शन, एनडीयू और नकारात्मक वैध अधिकार मूर्त प्रतिभूतियां नहीं थी क्योंकि ये मात्र वचन के रूप में थी और उनके माध्यम से बकाए की वसूली करना कठिन था। विनिमय दर 1.13:1 तक बढ़ने के बावजूद भी जीआईएल के साथ इसके विलय पर सीएनआईएल शेयरों के सूचीकरण से, जीआईएल की भारी ऋणग्रस्तता, ₹ 2893.18 करोड़ की समेकित हानि (मार्च 2016) के कारण निवल संपत्ति में क्षरण तथा जीआईएल के शेयर मूल्यों में आई गिरावट¹⁰⁶ को देखते हुए, शेयर मूल्य बढ़ने की संभावना नहीं थी।

इस प्रकार, कम्पनी के ₹152.48 करोड़ के नहीं वसूले गए ब्याज/कूपन (₹ 90.65 करोड़ (सीएनआईएल इक्विटी पर प्रतिलाभ) तथा ₹61.83 करोड़ (ओसीएल)) सहित ₹ 435.61 करोड़ (₹273.78 करोड़ (इक्विटी) और ₹161.83 करोड़ (ओसीएल)) के एक्सपोजर की वसूली 31 मार्च 2016 तक संदेहपूर्ण थी।

ख. 31 जुलाई 2013 को एक बुलेट किश्त में पुनर्भुगतानयोग्य ₹ 250 करोड़ के निगम ऋण की दूसरी सुविधा इसी ग्लोबल ग्रुप के चेन्नई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएनआईएल) को संस्वीकृत की गई (जुलाई 2010)। ऋण की प्रतिभूति संवितरण की तिथि से 12 महीनों की समाप्ति और तत्पश्चात् प्रत्येक छमाही पर कॉल विकल्प प्रयोग करने के अधिकार के साथ साथ ऋण राशि की दोगुनी पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल)

¹⁰⁵ उत्तर मंत्रालय को जारी ड्रॉफ्ट पैरा से संबंधित है जिसे अब निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

¹⁰⁶ ₹ 41.45 (10 फरवरी 2010 को संस्वीकृति के समय), ₹ 10.95 (19 मार्च 2012 को एफसीडी के पुनर्गठन पर), ₹ 8.05 (3 अगस्त 2012 को निपटान करार की तिथि पर), ₹ 1.75 (21 नवम्बर 2013 को निपटान करार की समाप्ति पर), ₹ 2.10 (31 मार्च 2016)

के शेयरों (₹41.16 प्रति शेयर की दर पर) पर गैर-निपटान वचन पत्र तथा संस्वीकृत ऋण राशि के बराबर चल संपत्तियों (मार्च 2011 को सृजित) पर अवशेष प्रभार द्वारा ली गई थी। ब्याज भुगतान में चूक (जून 2011) और संस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति कवर में गिरावट के कारण कम्पनी ने गिरवी को प्रवर्तित किया और जुलाई-सितम्बर 2011 के बीच 10.31 लाख शेयर बेचकर ₹1.43 करोड़¹⁰⁷ वसूल किया। इस कार्रवाई से आईएफसीआई और ग्लोबल ग्रुप के बीच विवाद हुआ जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कर्जदार कम्पनी ने भी अपने ऋण के पुनर्गठन हेतु सीडीआर का रुख किया (जुलाई 2011) हालांकि, घटती तरलता स्थिति और प्रतिभूति कवर सुधारने में कर्जदार की अक्षमता के कारण कम्पनी ने एक निपटान समझौता किया (अगस्त 2012) जिसके अनुसार (i) सीएनआईएल को ₹250.66 करोड़ के कुल बकाया ऋण के लिए गैर-सूचीबद्ध इक्विटी का आबंटन करना था तथा आईएफसीआई को शेष शेयरों की गिरवी को मुक्त करना था और (ii) समामेलित इकाई के विलय¹⁰⁸ और सूचीकरण तक इन इक्विटी शेयरों को बेचा नहीं जा सकता था। जबकि यह भी जीटीएल लिमिटेड या इसके नामिती के पहले अस्वीकृति के अधिकार (आरओएफआर) के अधीन था, जिसका मतलब था कि सूचीकरण के बाद आईएफसीआई इन शेयरों को केवल जीटीएल लिमिटेड (या इसके नामिती) को ही बेच सकती थी और उनके मना करने पर बैंक/वित्तीय संस्थानों को बेच सकती थी न कि किसी प्रतिस्पर्धी को। उपरोक्त निपटान 21 नवम्बर 2013 को पूरा हुआ।

लेखा-परीक्षा ने देखा कि क्रेडिट सुविधायें सामान्य ऋण नीति से विचलन करके प्रदान की गई थी चूँकि जीआईएल (गिरवी रखने वाली कम्पनी) को सभी तीन वर्षों में लाभ के अनुबद्ध प्रावधान के विपरीत 3 में से 2 वर्षों में हानि हुई थी और इसका ऋण इक्विटी अनुपात (डीईआर) अधिकतम अनुबद्ध 1.5 के प्रावधान के विपरीत 2.39 था। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य जानते हुए भी कि प्रक्षेपणों के अनुसार सीएनआईएल (कर्जदार) संचालन के चार वर्ष बाद भी लाभ-अलाभ स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती थी, तीन वर्ष बाद पुनर्भुगतानयोग्य ऋण की संस्वीकृति दी गई थी। निपटान समझौता स्वीकार करना एक उच्च जोखिम था क्योंकि पूरे ऋण को गैर-सूचीबद्ध इक्विटी से विनिमय किया गया था। चूँकि सीएनआईएल और जीआईएल का विलय नहीं हो पाया, कम्पनी ₹ 250.66 करोड़ राशि की गैर-सूचीबद्ध इक्विटी

¹⁰⁷ (₹ 29.78 लाख+₹ 113.47 लाख)

¹⁰⁸ सीएनआईएल और जीआईएलके बीच अनुमोदित विलय योजना (जुलाई 2011) में निर्धारित विनिमय दर सीएनआईएल के चार शेयर जीआईएल के एक शेयर से थी।

में निवेश और इस पर ₹124.08 करोड़ की वसूल नहीं हो पाई प्रतिलाभ सहित ₹ 374.74 का अपना बकाया वसूल नहीं कर पाई।

प्रबंधन ने हालांकि यह मानते हुए कि संस्वीकृति के समय कर्जदार की डीईआर काफी अधिक थी, कहा (मार्च 2014/सितम्बर 2014/नवम्बर 2016) कि टॉवर कारोबार के नियोजित विस्तार से जीआईएल और सीएनआईएल की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना थी। इसने आगे कहा कि सामान्य ऋण नीति में बाद में संशोधन करके शेयरों के प्रति ऋण हेतु ₹25 करोड़ की सीमा लगा दी गई थी। इसने सीडीआर तंत्र के बाहर अपने पूरे ऋण को सीएनआईएल के इक्विटी शेयरों में बदलने का निर्णय लिया। चूँकि अंतिम विनिमय अनुपात का निर्धारण अभी भी किया जा रहा है, इसलिए संभावित विनिमय दर जीआईएल के एक शेयर के लिए सीएनआईएल का 1.13 शेयर बनता है तथा रणनीतिक निवेशक को बिक्री पर वांछित आय प्राप्त हो सकेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ऋण की संस्वीकृति सामान्य ऋण नीति से विचलन ले कर की गई थी। प्रतिबंधकारी विनिवेश विकल्प के साथ 100 प्रतिशत ऋण को सीएनआईएल के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी में बदलने का निर्णय कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। संभावित विनिमय अनुपात 1.13:1 होने के बावजूद भी कर्जदार गुप कम्पनी (जीआईएल¹⁰⁹) की भारी ऋणग्रस्तता, ₹ 2893.18 करोड़ की भारी संचित हानि (मार्च 2016) के कारण निवल संपत्ति में कमी तथा जीआईएल¹¹⁰ के शेयर मूल्यों में गिरावट के कारण मार्क-टू-मार्केट हानि को खारिज नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, कर्जदार के कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन और प्रतिबंधकारी विनिवेश विकल्प के साथ कम्पनी के वित्तीय हितों के प्रतिकूल शर्तों पर सीएनआईएल के साथ निपटान समझौता करने के कारण ₹ 374.74 करोड़¹¹¹ (मार्च 2016) की वसूली संदिग्ध हो गई।

7.2 अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड और अथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने छत्तीसगढ़ में ₹ 6200 करोड़ मूल्य में एक तापीय विद्युत संयंत्र की परियोजना में आंशिक वित्तपोषण के लिए अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (ईवीपीएल और

¹⁰⁹ कम्पनी जिसके साथ सीएनआईएल का विलय होना था।

¹¹⁰ संस्वीकृति की तिथि 10.02.2010 को जीआईएल का शेयर मूल्य ₹41.45 था, समझौता तिथि 03.08.2012 को ₹ 8.05 था, समझौता समाप्ति की तिथि 21.11.2013 को ₹ 1.75 था और 31.03.2016 को ₹ 2.10 था।

¹¹¹ बकाया मूलधन समझौता तिथि को ₹ 250.66 करोड़ तथा अगस्त 2012 से मार्च 2016 तक वसूल नहीं हो पाई आय ₹ 124.08 करोड़ थी।

अन्य¹¹²) द्वारा विकसित एक विशेष उद्देश्य माध्यम, अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीपीएल¹¹³) में ₹ 250 करोड़ का इक्विटी निवेश (पहली सुविधा) संस्वीकृत किया। इक्विटी निवेश अंतरिम कूपन भुगतान के साथ पांच से सात वर्षों के लिए था और यदि पहला इसे वापस खरीदने में असमर्थ हो तो ज्यूस इंफ्रामैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडआईपीएल) (एसीपीपीएल का एक प्रवर्तक) या एआईपी पावर प्रा. लिमिटेड (एआईपीपीपीएल¹¹⁴) द्वारा वापस खरीदा जाना था। वापसी-खरीद अप्रैल 2015 या वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) (जुलाई 2014) जो भी पहले हो, से शुरू की जानी थी। उपरोक्त इक्विटी निवेश के अलावा आईएफसीआई द्वारा एसीपीपीएल को संस्वीकृत ₹ 100 करोड़ (जून 2010) के पिछले अल्पावधि ऋण को ₹ 85 करोड़ एसीपीएल में इक्विटी में बदल दिया गया (मार्च 2011) और शेष ₹ 15 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। मार्च 2011 से मार्च 2014 तक चार किस्तों¹¹⁵ में कुल ₹ 138.54 करोड़ का संवितरण किया गया। दिसम्बर 2013 से कूपन भुगतान में चूक शुरू हुई तथा अप्रैल 2015 में वापसी खरीद में चूक हुई। चूक वाली कुल राशि 31 मार्च 2016 तक ₹ 173.17 करोड़ (₹ 80.81 करोड़ के कूपन सहित) थी।

कम्पनी द्वारा अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि. (एसीपीपीएल का प्रवर्तक) में कम्पनी द्वारा ₹ 124.99 करोड़ (₹ 5 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 15 प्रति शेयर पर 8.33 करोड़ शेयर) मूल्य के 10 प्रतिशत इक्विटी में दूसरा निवेश (दूसरी सुविधा) किया गया (जून 2011) जिसमें कोई भी वापसी-खरीद करार, कोई प्रतिभूति, कोई प्रत्याभूत रिटर्न नहीं था और केवल अन्य पक्ष को शेयर बेचने के माध्यम से विनिवेश का विकल्प था। एईवीपीएल में इस इक्विटी एक्सपोजर को बाद में विज इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआईसीपीएल, अथेना ग्रुप में अन्य निवेशक) को ₹ 177 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) लेकर विनिमय किया गया (तीसरी सुविधा) (मार्च 2013 में परिवर्तित)। यह विनिमय विशेष रूप से आईएफसीआई के एईवीपीएल में 10 प्रतिशत इक्विटी जो की 14 प्रतिशत के रिटर्न के साथ ₹ 124.99 करोड़ राशि के पुनर्भुगतान तथा शेष का उपयोग एईवीपीएल में निवेश करने के लिए था जिसे एसीपीएल में आगे सहायता प्रदान करने हेतु किया जाना था। एनसीडी सुविधा

¹¹² पीटीसी ग्रुप, अबीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा ज्यूस इंफ्रो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडआईपीएल)

¹¹³ एसीपीपीएल को अक्टूबर 2010 में बदलकर सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी और इसका नाम अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (एसीपीएल) कर दिया गया।

¹¹⁴ अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (एईवीपीएल) का प्रवर्तक

¹¹⁵ ₹ 85 करोड़ (मार्च 2011), ₹ 22.23 करोड़ (नवम्बर 2011), ₹ 14.64 करोड़ (अक्टूबर 2013), ₹ 16.67 करोड़ (मार्च 2014)

एनपीए हो गई (अक्टूबर 2015) तथा 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया ₹ 234.44 करोड़ (मूलधन ₹ 177.00 करोड़ तथा बकाया ब्याज ₹ 57.44 करोड़) था।

आईएफसीआई ने आईवीपीएल की इक्विटी बेचने पर चूकग्रस्त रिटर्न के बदले में वीआईसीपीएल द्वारा प्रस्तावित अथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (एआईपीएल) के ₹ 27.11 करोड़ (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 2.71 करोड़ शेयर) इक्विटी शेयर स्वीकार किए (अगस्त 2013) (चौथी सुविधा) और वीआईसीपीएल द्वारा वचनबद्धता के साथ कि मार्च 2013 से 16 प्रतिशत ब्याज के साथ 31 दिसम्बर 2013 तक इन शेयरों की खरीद-वापसी हो जानी चाहिए। फिर भी मार्च 2016 तक इसकी खरीद-वापसी नहीं की गई। कूपन सहित कुल बकाया ₹ 42.05 करोड़ (कूपन ₹ 14.94 करोड़) था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसीपीएल को संस्वीकृति (पहली सुविधा) के दौरान कम्पनी द्वारा अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन किया गया था क्योंकि इसने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि एसीपीएल की मुख्य प्रवर्तक अर्थात् आईवीपीएल, जिसे आईएफसीआई को कूपन ब्याज का भुगतान करना था, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था क्योंकि संस्वीकृति से पूर्व सभी तीन वर्षों में इसको संचालन/शुद्ध हानि हुई थी। इसी प्रकार, खरीद वापसी के पुनर्भुगतान की क्षमता (जेडआईपीएल, एआईपीपीपीएल) का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि संस्वीकृति के समय उनको ₹ 3.15 करोड़ और ₹ 0.46 करोड़ का मामूली लाभ हुआ था, उनके निवेश भी अभी कार्यान्वयन स्तर पर थे और ऋण चुकाने के लिए नकद प्रवाह नहीं थे। कम्पनी प्रवर्तकों की इक्विटी सृजन क्षमता का विश्लेषण करने में भी विफल रही, जिसे ₹ 6200 करोड़ की सम्पूर्ण परियोजना लागत के वित्तपोषण हेतु अपने ऋण की वापसी के अलावा ₹ 1550 करोड़ का योगदान देना था। अपेक्षित इक्विटी बढ़ाने में प्रवर्तकों की असमर्थता भी एक कारक था जिससे परियोजना की लागत और समय में वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने एसीपीएल में इक्विटी निवेश की दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त जारी करने के दौरान कई कमियां देखीं। प्रवर्तकों/निवेशकों से इक्विटी योगदान के अनुरूप 9.22 प्रतिशत और 5.65 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद ₹ 22.23 करोड़ तथा ₹ 14.65 करोड़ राशि की क्रमशः दूसरी एवं तीसरी किश्त जारी करना (नववम्बर 2011 तथा अक्टूबर 2013), संस्वीकृत शर्तों का उल्लंघन था। इसी प्रकार, ₹ 9.59¹¹⁶ करोड़ की कुल मौजूदा चूक के प्रति कूपन

¹¹⁶ ₹4.55 करोड़ + ₹5.04 करोड़

भुगतान के लिए केवल ₹ 4.59 करोड़¹¹⁷ की आंशिक प्राप्त के बावजूद तीसरी और चौथी किस्त जारी की गई (अक्टूबर 2013, मार्च 2014)।

इसके अतिरिक्त, जेडआईपीएल (एसीपीएल इक्विटी हेतु वापसी खरीद इकाई) की वित्तीय स्थिति कमजोर और अनुपातिक इक्विटी योगदान करने में इसकी विफलता, प्रवर्तकों द्वारा ₹ 673.59 करोड़ का शेष इक्विटी निवेश न करने, विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयला प्राप्त करने में कठिनाई, परियोजना लागत ₹ 6200 करोड़ से 34.23 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 8322.23 करोड़ हो जाने के बावजूद ₹ 16.67 करोड़ का इक्विटी निवेश किया गया (मार्च 2014)। वीआईसीपीएल ने ₹ 10.02 करोड़ का कूपन ब्याज जमा नहीं किया था (15 जुलाई 2013) (तीसरी सुविधा), फिर भी आईएफसीआई ने वीआईसीपीएल को प्रदान की गई एनसीडी सुविधा के प्रति अपने बकाए और एसीपीएल तथा एआईपीएल शेयरों की खरीद में चूक के बावजूद वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की।

प्रबंधन ने बताया (मई/नवम्बर 2016) कि बाद में संवितरण लक्षित हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए किया गया तथा संस्वीकृति की शर्तों का पालन किया गया था। अंतरिम रिटर्न के भुगतान हेतु और समय देते हुए संवितरण किए गए थे। विज इंफ्रा आईएफसीआई के एसीपीएल में निवेश की खरीददारी के लिए पार्टी नहीं थी। विद्युत क्षेत्र के व्यापक-आर्थिक कारक ने प्रवर्तक समूह के राजस्व को असामान्य रूप से प्रभावित किया। इसलिए कम्पनी को आगे ऋण लेने में सक्षम बनाने हेतु ₹ 16.67 करोड़ का संवितरण किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कर्जदार की जटिल नकदी स्थिति, जैसा कि उनके अंतरिम रिटर्न में ही चूक से देखा जा सकता है, कम्पनी को बार-बार के संवितरण से नहीं रोक पाई। विज इंफ्रा को कूपन सहित एआईपीएल में आईएफसीआई के इक्विटी निवेश की खरीद वापसी करनी थी न कि एसीपीएल में निवेश, जैसा कि उत्तर में बताया गया। उस पर रिटर्न में चूक अभी भी थी, जब संवितरण (तीसरा एवं चौथा) किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित कमियों के बावजूद ₹ 16.67 करोड़ की अतिरिक्त किस्त जारी की गई। प्रवर्तकों की वापसी खरीद/कूपन भुगतान क्षमतायें प्रभावित हुए क्योंकि कर्जदार ग्रुप की परियोजनायें अभी कार्यान्वयन स्तर पर थी और उनसे कोई नकद आय नहीं हो रही थी।

प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति से संबंधित समुचित क्रेडिट मूल्यांकन (एसीपीएल, ईवीपीएल) के बिना इक्विटी/एनसीडी की संस्वीकृति और इसी ग्रुप को कई जटिल ऋण सुविधाओं की मंजूरी

¹¹⁷ ₹ 2.16 करोड़ + ₹ 2.43 करोड़

के परिणामस्वरूप ₹ 449.66 करोड़ की गैर वसूली हुई (एनसीडी (वीआईसीपीएल) की संदिग्ध वसूली के बावजूद एसीपीएल और एआईपीएल में ₹ 119.47 करोड़ का इक्विटी निवेश और उस पर ₹ 95.75 करोड़ की आय, जो बाद में ₹ 234.44 करोड़ (मूलधन ₹ 177 करोड़, ब्याज ₹ 57.44 करोड़) का एनपीए हो गया (अक्टूबर 2015))।

7.3 गायत्री हाइटेक होटल्स लिमिटेड एण्ड गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

क. आईएफसीआई ने हैदराबाद में एक फाइव स्टार होटल परियोजना के लिए एक नीतिगत निवेशक के तौर पर, गायत्री हाइटेक होटल्स लिमिटेड (जीएचएचएल) में ₹61.10 करोड़ का इक्विटी निवेश संस्वीकृत किया (26 प्रतिशत इक्विटी)। इक्विटी निवेश 36 महीनों के लिए था और पहले संवितरण की तिथि से 33वें महीने और 36वें महीने की समाप्ति पर ₹30 करोड़ और ₹ 31.10 करोड़ की दो किश्तों में गायत्री होटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएचवीपीएल, गायत्री ग्रुप की धारित मानित कम्पनी) व गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जीपीएल समूह की अग्रणी कम्पनी) द्वारा वापस खरीदा जाना था। सम्पूर्ण रिटर्न की दर 18 प्रतिशत थी, जिसका छमाही आधार पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर तथा शेष का 8 प्रतिशत दर पर इक्विटी विनिवेश के साथ भुगतान किया जाना था। राशि ₹ 30 करोड़ (अप्रैल 2010) और ₹ 31.10 करोड़ (जून 2010) की दो किश्तों में वितरित की गई। इक्विटी निवेश दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के साथ खरीद-वापसी करार द्वारा प्रत्याभूत था। कर्जदार ने आईएफसीआई को अंतरिम कूपन के भुगतान में चूक की (अक्टूबर 2012)। ₹ 61.10 करोड़ के कुल बकाए (7 जनवरी 2013 को ₹ 30 करोड़ तथा 7 अप्रैल 2013 को ₹ 31.10 करोड़) में से 7 मार्च 2013 को केवल ₹ 5 करोड़ की इक्विटी का विनिवेश किया गया। शेष वापसी खरीद राशि (₹56.10 करोड़) के लिए कर्जदार द्वारा आस्थगन के अनुरोध पर आईएफसीआई ने पुनर्निर्धारण की मंजूरी दो बार दी¹¹⁸ (फरवरी 2013 और अगस्त 2015) तथा इस प्रक्रिया में जीपीएल के 41,45,217 अतिरिक्त बंधक शेयर की प्रतिभूति ली। कर्जदार (जीएचएचएल) के ऋण और वापसी-खरीद इकाई (जीपीएल) का क्रमशः ऋण पुनर्निर्धारण/संयुक्त कर्जदार फोरम तंत्र के तत्वाधान में पुनर्निर्धारण किया गया (जून 2014)। लेखापरीक्षा ने देखा कि इक्विटी निवेश की सुविधा एक ऐसी कर्जदार कंपनी को दी गई (मार्च 2010) जिसने अभी तक वाणिज्यिक संचालन शुरू ही नहीं किया था और जीएलपी के मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करती थी क्योंकि जीएलपी में ₹500 करोड़ के

¹¹⁸ जनवरी/अप्रैल 2013 से जनवरी/अप्रैल 2015 तथा फिर जनवरी/अप्रैल 2018

न्यूनतम निवल सम्पत्ति के मानदंड के विपरीत प्रवर्तक कंपनी की निवल सम्पत्ति केवल ₹ 234.34 करोड़ ही थी। संस्वीकृति के समय परियोजना में पहले से ही 21 महीनों¹¹⁹ की देरी थी और ₹154 करोड़¹²⁰ लागत बढ़ गई थी, इस पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया। क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान वापसी-खरीद इकाई के डीईआर और एफएसीआर की गणना¹²¹ ऋण भाग से गैर-प्रत्याभूत ऋण को छोड़कर की गई थी। संचालन के चौथे वर्ष में लक्षित लाभांश (7 प्रतिशत) 75% का अधिभोग अनुपात मानते हुए केवल ₹9 करोड़ था जो इस परियोजना में कर्जदार के ₹285 करोड़ के अन्य ऋण के साथ-साथ इस सुविधा को चुकाने के लिए ही अपर्याप्त था। वापसी-खरीद की निर्धारित समय सीमा के पहले पुनर्निर्धारण के दौरान (फरवरी 2013), कम्पनी ने दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी लागू नहीं की और बाद में वापसी-खरीद चूक के समय (जनवरी 2015/अप्रैल 2015) बंधक शेयर नहीं बेचे जबकि ये प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध थे। इसके बजाय इस सुविधा का फिर से पुनर्निर्धारण कर दिया गया (अगस्त 2015)।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस तथ्य के बावजूद वर्तमान सुविधा दी गई थी कि आईएफसीआई का संबंधित कर्जदार ग्रुप (गायत्री शुगर लि.) के साथ पिछला अनुभव संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसको दी गई एक सुविधा को आईएफसीआई के बकाए के निपटान (जुलाई 2008) के माध्यम से पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में मानकों से विचलन, कर्जदार ग्रुप कंपनियों में से एक के साथ ओटीएस निपटान के साथ-साथ डी/ई अनुपात की गणना करते समय गैर-प्रत्याभूत ऋण को अलग करने से संबंधित तथ्य स्वीकार कर लिया। इसने यह भी बताया कि जीएचएचएल का नकद प्रवाह महत्वहीन था, वापसी-खरीद और अंतरिम रिटर्न का भुगतान अन्य कम्पनी द्वारा किया जा रहा था और यह सुविधा जीपीएल के बंधक शेयरों द्वारा भी प्रत्याभूत थी।

हालांकि अभी भी तथ्य यह है कि वापसी-खरीद निर्धारित समयसीमा के अनुसार नहीं किया गया और आईएफसीआई ने प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रतिभूति लागू करने तथा इक्विटी निवेश

¹¹⁹ वाणिज्यिक संचालन तिथि-अप्रैल 2009 से जनवरी 2011

¹²⁰ ₹ 366 करोड़ से ₹ 520 करोड़

¹²¹ डीईआर के ऋण अवयव से गैर प्रत्याभूत ऋण और अन्य बैंक ऋण को छोड़कर कंपनी द्वारा गणना किया गया डीईआर 0.2 था, लेकिन इसे शामिल करके वास्तविक डीईआर 1.54 था। इसी प्रकार गैर प्रत्याभूत और अन्य बैंक ऋण को छोड़कर कम्पनी द्वारा निकाला गया एफएसीआर 3.44 था, लेकिन इसे शामिल करके वास्तविक एफएसीआर 0.44 था।

के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित बंधक शेयरों को बेचने की बजाए दो अवसरों पर विनिवेश का पुनर्निर्धारण किया।

ख. कम्पनी ने गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईवीपीएल) के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर्स (सीसीडी) का इसके द्वारा विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित दो विद्युत परियोजनाओं (एसपीवी) में जीईवीपीएल के इक्विटी निवेश को आंशिक रूप से वित्तपोषित करते हुए ₹250 करोड़ के निवेश की संस्वीकृति दी (दिसम्बर 2010)। सीसीडी, जीईवीपीएल के 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर, जीईवीपीएल के एक एसपीवी, एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड के 10.74 प्रतिशत इक्विटी शेयर द्वारा प्रत्याभूत थे। सीसीडी को चार बराबर किस्तों¹²² में गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा (जीपीएल, धारक कम्पनी) या इसके द्वारा खरीद-वापसी न किए जाने के मामले में जीईवीपीएल के दो प्रवर्तकों द्वारा वापस खरीदा जाना था। आईएफसीआई ने मई 2011 में ₹ 150 करोड़ का पहला सीसीडी अभिदान वितरित किया जबकि शेष गैर आहरित धनराशि ₹ 100 करोड़ रद्द कर दी गई (मई 2012)। कर्जदार ने आईएफसीआई को कूपन भुगतान करने में चूक करना शुरू किया (मई 2012) जिसने बाद में विनिवेश और कूपन भुगतान योजना¹²³ के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन किया (जून 2015)। 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया राशि ₹ 153.47 करोड़ थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीईवीपीएल को क्रेडिट सुविधाएं संस्वीकृत की गई थी जिसकी प्रदत्त पूंजी केवल ₹ 1.05 करोड़ थी, इसकी अपनी कोई परिचालन आय नहीं थी और यह जीएलपी में निर्धारित पात्रता मानदंड भी पूरा नहीं करती थी क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी की निवल सम्पत्ति न्यूनतम ₹ 300 करोड़ के प्रावधान के विपरीत केवल ₹ 280.41 करोड़ थी। इसके अलावा जीपीएल की ₹ 280.41 करोड़ की अपनी निवल सम्पत्ति क्षमता पर ₹ 8812 करोड़ के मूल्य की परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपेक्षित निधि जुटाने की सक्षमता पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जीईवीपीएल द्वारा विकसित की जाने वाली दो विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण 75 प्रतिशत¹²⁴ के ऋण अवयव से किया जा रहा था और ₹ 2469 करोड़ का शेष 25 प्रतिशत इक्विटी भाग शामिल करने की प्रवर्तको की क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया गया। यहां तक कि ग्रुप की प्रमुख कम्पनी (गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) भी तीन परियोजनाओं में बढ़े हुए समय और लागत से जूझ रही थी। कम्पनी ने प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के

¹²² निवेश की तिथि से 42^{वें} (15 नवम्बर 2014), 48^{वें} (15 मई 2015), 54^{वें} (15 नवम्बर 2015) और 60^{वें} (15 मई 2016) महीने की समाप्ति पर।

¹²³ 15 मई 2016 से 8 बराबर तिमाही किस्तों में विनिवेश तथा 15 फरवरी 2016 से कूपन भुगतान शुरू किया जाना था।

¹²⁴ ₹ 7403 करोड़ (₹ 5151 करोड़ + ₹ 2252 करोड़)

संबंध में ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) तथा विद्युत क्रय करार (पीपीए) को अंतिम रूप देने जैसी महत्वपूर्ण संवितरण पूर्व शर्तों से हटाकर सीसीडी निवेश की अन्य शर्तों का रुख किया। जीईवीपीएल और जीएचएचएल को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के पुनर्भुगतान में मौजूदा चूक के बावजूद आईएफसीआई ने संबंधित¹²⁵ ग्रुप कम्पनी के अन्य प्रीपेड ऋण (2013) के संबंध में ₹50 करोड़ मूल्य की मूर्त प्रतिभूति अवमुक्त कर दी।

प्रबंधन ने इस तर्क कि निवल संपत्ति मापदंड से कम थी, को स्वीकार करते हुये कहा कि उच्च ऋण इक्विटी अनुपात स्वीकार्य मानक था और वित्तीय समापन संभव था। उसने कहा कि ईंधन आपूर्ति करार और विद्युत क्रय करार के क्रियान्वयन में विलम्ब उद्योग की प्रवृत्ति थी और इसलिये आईएफसीआई ने उसके लिये अतिरिक्त समय दिया और नकद प्रवाह पुनर्गठन हेतु पर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा (नवम्बर 2016) कि जीईवीपीएल पुनर्निर्धारण करने के बाद नियमित रूप से कूपन भुगतान कर रही है और मई 2016 में 16 प्रतिशत प्रतिलाभ की आंतरिक दर सहित ₹ 18 करोड़ की वापसी-खरीद की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर्जदार निर्धारित पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं करता और उद्योग की प्रवृत्ति की कर्जदार की मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ तुलना की जानी चाहिये जिसकी अन्य बीओटी परियोजना में लागत बढ़ रही थी। नियमित कूपन भुगतान के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर्जदार ने अगस्त 2016 और नवम्बर 2016 में देय ₹ 46.59 करोड़ की राशि के मूलधन और ब्याज की दो किश्तों के भुगतान में चूक की। वित्तीय व्यावहारिकता स्थापित नहीं हो सकी, विशेष रूप से तब जब आईएफसीआई द्वारा पुनर्निर्धारण (जून 2015) करने से पूर्व उसकी खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, जनवरी 2015 में संयुक्त ऋणदाता फोरम के अंतर्गत प्रवर्तक/विनिवेश इकाई के ऋण का पुनर्निर्धारण किया था।

इस प्रकार, अपात्र कर्जदारों को क्रेडिट सुविधा देने और कर्जदारों के क्रेडिट मूल्यांकन में कमी, ग्रुप कंपनियों में एक से अधिक को उधार देने के कारण उपलब्ध प्रतिभूति प्रभावशील न होने के कारण ₹ 56.10 करोड़ की इक्विटी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, किसी भी मूर्त प्रतिभूति के अभाव से ₹ 153.47 करोड़ (जीईवीपीएल) की वसूली अनिश्चित हुई थी और स्वयं जीपीएल (वापसी-खरीद इकाई) को अन्य ऋण के संबंध में आईएफसीआई को ₹66.16 करोड़ का ऋण चुकाना था।

¹²⁵ गायत्री प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड (2008)

7.4 एबीजी सीमेंट लिमिटेड और एबीजी एनर्जी (गुजरात) लिमिटेड

आईएफसीआई ने एबीजी सीमेंट लिमिटेड¹²⁶ (एबीजीसीएल) और एबीजी एनर्जी (गुजरात) लिमिटेड (एबीजीईजीएल) की इक्विटी में क्रमशः ₹ 63.92 करोड़ और ₹ 36 करोड़ (अक्टूबर 2009) का निवेश किया (अप्रैल 2009)। आईएफसीआई को उपलब्ध विनिवेश विकल्प एबीजीसीएल के संबंध में अतिरिक्त टैग-अलांग¹²⁷ अधिकारों के साथ आईपीओ के माध्यम से या दोनों सुविधाओं के लिये एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एबीजीआईएल) पर पुट-ऑप्शन था। नकदी की समस्या के कारण, परियोजना ने अधिक समय और अधिक लागत का सामना किया तथापि, चूक होने पर आईएफसीआई द्वारा दोनों कम्पनियों के लिये पुट-ऑप्शन का प्रयोग किया गया था (नवम्बर 2012 और मार्च 2013) लेकिन उसे एबीजीआईएल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इन निवेशों के संबंध में 31 मार्च 2016 को कुल देयता उस पर ₹ 218.47 करोड़ के रिटर्न के अलावा ₹99.92 करोड़ थी। इसके लिए कम्पनी द्वारा परिसमापन के लिये याचिका दायर कर दी गई (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इक्विटी में निवेश निवर्तमान सामान्य ऋण नीति का उल्लंघन करते हुये किया गया था क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी अर्थात एबीजीआईएल की निवल संपत्ति ₹ 500 करोड़ की निर्धारित न्यूनतम निवल संपत्ति के विपरीत ₹ 251 करोड़ थी। ग्रीनफील्ड परियोजना होने के बावजूद आईएफसीआई ने कोई भी मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। परियोजना लागत में 29 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 537.08 करोड़ से) को नजरअंदाज करते हुये इसने संवितरण जारी रखा। इसके अतिरिक्त, शेयरधारण अनुपात बनाये रखने पर अधिक ध्यान देकर और यह तर्क देकर कि पुट-ऑप्शन आईएफसीआई को अधिक लागत और समय के प्रभाव से बचायेगा, इक्विटी में यथानुपात अंशदान जारी रखा। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी ग्रुप की अन्य कम्पनी को ₹ 100 करोड़ के सावधि ऋण की एक अन्य सुविधा संवितरित (मार्च 2013) की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि नवम्बर 2012 और मार्च 2013 में क्रमशः दोनों निवेशों (एबीजी सीमेंट, एबीजी एनर्जी) के लिये आईएफसीआई द्वारा प्रयोग किये गये पुट-ऑप्शन को प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यहां तक कि इस ऋण की स्वीकृति के समय जून 2013 तक एबीजीसीएल और एबीजीईजीएल में निवेश के वापसी-खरीद की एबीजीआईएल की वचनबद्धता भी प्रवर्तित नहीं हो पाई।

¹²⁶ वदराज सीमेंट के रूप में नया नाम

¹²⁷ आईपीओ/शेयर की बिक्री के मामले में तृतीय पक्ष को प्रस्तुत शर्तों के समान दावे का अधिकार

प्रबंधन ने कहा (अगस्त, नवम्बर 2016) कि कर्जदार के संसाधनों में भविष्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये और प्रवर्तकों की निधि निवेश करने की क्षमता का अनुमान लगाने के बाद पात्रता मानदंड में छूट दी गई थी। भुगतान, निवेश की गई इक्विटी के अनुपात में, अन्य ऋणदाता द्वारा दी गई राशि और अधिक लागत के लिये अपेक्षित ₹ 183.96 करोड़ की पूर्ण इक्विटी की सहायता देने की एबीजीआईएल की वचनबद्धता पर किया गया था। एबीजी शिपर्याड को ऋण प्रस्तुत प्रतिभूति और उसकी लाभप्रदता पर स्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निवल सम्पत्ति आवश्यकता से विचलन आईएफसीआई के हित में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कर्जदार की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति और उसकी पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित करने वाले कारणों पर प्रत्येक स्तर पर समुचित संज्ञान नहीं लिया गया था। बल्कि आईएफसीआई ने कर्जदार/ प्रवर्तक की वचनबद्धता पर विश्वास किया और अन्य ऋणदाताओं का अनुकरण किया। एबीजीसीएल और एबीजीईजीएल के संबंध में उसके प्रवर्तक द्वारा वापसी-खरीद की चूक मौजूद होने के बावजूद एबीजी शिपर्याड को नया ऋण जारी करना (मार्च 2013) भी आईएफसीआई के हित में नहीं था।